राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **61/2022 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री मधु शर्मा c/o राजेन्द्र प्रसाद शर्मा निवासी कागजी देवरा, महावती पाड़ा जिला बून्दी (राज0)	**बनाम**	1. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय) एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा 2. लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		––**प्रत्यर्थीगण**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थीगण की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक :30.08 .2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 04.07.2022 को आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के साथ एक आवेदन दिनांक 03.06.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित किया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक सूचना प्रकोष्ठ/2022/20206 दिनांक 03.08.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग से संबंधित होने से आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी व प्रभारी अधिकारी (न्याय) एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा को अंतरित किया गया किन्तु न्याय अनुभाग ने आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना राजस्व अनुभाग से संबंधित होना बताकर पुनः आवेदन संबंधित अनुभाग को भिजवाया गया।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन से चाही गयी सूचना/जवाब राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा के पत्रांक 1915 दिनांक 03.06.2022 से अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित कर दी गई है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना/जवाब प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 30.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा